



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024

कल्याणपुर, कानपुर-208024

दिनांक : 19/05/2021

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./4899/2021

सेवा में,

संशोधित

1. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी,
सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर।

विषय :- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने के सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1107/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 18 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने के सम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में है।

1. शासन के उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कक्षाएँ/शिक्षण कार्य संस्थान में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्रों की उपस्थिति नहीं होगी।
2. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों के समस्त शिक्षक प्रत्येक कार्यदिवस में अपने विभाग में उपस्थित होंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक की उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा लिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यरत समूह "ख", "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बनाये कि कर्मचारी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./4892/2021 दिनांक 18.05.2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

डॉ० (अनिल कुमार यादव)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. डीन, एकेडमिक्स/डीन, प्रशासन सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, वार्डन, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग में रोस्टर बनाकर 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति कराये।
6. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।

कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-कुलपति,

समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2-निदेशक,

उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2021

विषय:-कोविड-19 के बढ़ते सक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1087 / सत्तर-3-2021-08(20) / 2020 दिनांक 10.05.2021 का कृपया सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थाएँ एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय परिसर भौतिक रूप से बंद किये जाने एवं ऑनलाइन कक्षाएँ दिनांक 20.05.2021 तक स्थगित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के सक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थाएँ एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को संचालित किये जाने का निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

- (1) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी कक्षाएँ / शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।
- (2) उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट ई-कन्टेण्ट अपलोड किये गये हैं। अतः प्रदेश के छात्रों को इसका सर्वाधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।
- (3) परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति / प्रधानाचार्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (4) शिक्षकों / छात्रों के सक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय सक्रित छात्र-शिक्षक को पठन-पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कुलपति, विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।
- (5) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में कार्यरत समूह- "ख", "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रॉस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

संख्या-1107(1)/सत्तर-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. अपर मुख्य सचिव मा0 मुख्यमंत्री 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव वि.कि.सा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
6. निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी 30प्र0।
8. कुलसचिव, समस्त राज्य मानवी विश्वविद्यालय 30प्र0।
9. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 30प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।